

भारत सरकार  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या: 946  
दिनांक 26 जुलाई, 2021

स्वच्छ ऊर्जा वाले रसोई ईंधन का नवाचार

946. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:  
श्री मनोज तिवारी:  
श्री सुधीर गुप्ता:  
श्री रवि किशन:  
श्री सुब्रत पाठक:  
श्री रविन्दर कुशवाहा:  
श्री चंद्र शेखर साहू:  
श्री प्रतापराव जाधव:  
श्री बिद्युत बरन महतो:  
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हमारी जनसंख्या की महत्वाकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं का प्रबंध करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाने में स्वच्छ ऊर्जा की बड़ी भूमिका होगी;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्वच्छ ऊर्जा रसोई ईंधन संबंधी नवाचारों के लिए प्रयास कर रही है तथा इस प्रयोजन के लिए उद्यमियों को खुला निमंत्रण दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) आज की तिथि के अनुसार विद्यमान गैस-आधारित अर्थव्यवस्था का ब्यौरा क्या है तथा भविष्य में इसके विस्तार के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है;
- (घ) इस प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित राष्ट्रव्यापी गैस ग्रिड तथा अन्य अवसरंचना विकसित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है; और

- (ड) इस प्रकार की राष्ट्रीय परिसंपत्तियों को विकसित करने के लिए होने वाले संभावित व्यय का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक आबंटित तथा जारी निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री रामेश्वर तेली)**

(क) से (घ) दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने राष्ट्रीय गैस ग्रिड बनाने और देश भर में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से पूरे देश में लगभग 33,764 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क को प्राधिकृत किया है। प्राधिकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कंपनी को विनियमों के प्रावधान के अनुसार स्परलाइनें बिछाने की अनुमति है। तदनुसार, 19,998 कि.मी. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (सब-ट्रांसमिशन पाइपलाइन और संबद्ध पाइपलाइन में जोड़ने सहित) चालू हैं और 15,369 कि.मी. निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। मौजूदा और आगामी पाइपलाइनें देश में एक बुनियादी राष्ट्रीय गैस ग्रिड का निर्माण करेंगी। तथापि, विभिन्न क्षेत्रों में गैस की मांग के आकलन के आधार पर पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे का विस्तार एक सतत प्रयास है।

सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई निर्णय लिए हैं:

- (i) नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क का विकास प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और उसकी पहुंच में सहायता करता है, जो घरों, औद्योगिक इस्तेमाल के लिए पाइपड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) तथा परिवहन में इस्तेमाल के लिए संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के रूप में होती है। पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) में नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास के लिए कंपनियों को प्राधिकार प्रदान करने वाला प्राधिकरण है। पीएनजीआरबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन संबद्धता के विकास और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के साथ साथ सीजीडी नेटवर्क के विकास हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करता है। अब तक देश भर में 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटीज) में 400 से अधिक जिलों को कवर करते हुए 10वें सीजीडी बोली दौर तक देश भर में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए 232 जीएज को प्राधिकृत किया गया है, जिसमें भारत की लगभग 71% आबादी कवर होती है और 53 प्रतिशत क्षेत्रफल इसमें आता है। पीएनजीआरबी ने दिनांक 04.02.2020 को एक

- सार्वजनिक सूचना वेब पर डाली है जिसमें पहचान किए गए 44 जीएज की एक अनंतिम सूची तैयार की गई है जिन्हें आगामी 11वीं सीजीडी बोली दौर में शामिल किया जाएगा।
- (ii) देश में एक कुशल और मजबूत गैस बाजार को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने तथा गैस ट्रेडिंग को प्रोत्साहित करने के लिए, गैस विनियम केन्द्र की स्थापना करने और उसका प्रचालन करने के उद्देश्य से पीएनजीआरबी ने दिनांक 02.12.2020 को इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड को प्राधिकार प्रदान किया है।
- (iii) इसके अलावा, दूर-दराज क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस को किफायती बनाने के लिए, पीएनजीआरबी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 द्वारा दिनांक 23.11.2020 को एकीकृत प्रशुल्क विनियमों को अधिसूचित किया है।
- (iv) भारत के ऊर्जा मि में एलएनजी के हिस्से को बढ़ाकर ईंधन उत्सर्जन कम करने और भविष्य में स्वच्छ ईंधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए, पीएनजीआरबी ने केवल परिवहन क्षेत्र के संबंध में तरलीकृत रूप में एलएनजी का वितरण करने के लिए यह अनुमति दी है कि कोई भी कंपनी किसी भौगोलिक क्षेत्र में अथवा देश में कहीं भी एलएनजी स्टेशनों को स्थापित कर सकती है और उनका प्रचालन कर सकती है।
- (v) सीजीडी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए, पीएनजीआरबी ने तीसरी पक्षकार कंपनियों को गैर-विभेदकारी निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराने के लिए सामान्य वाहक अथवा संविदा वाहन विनियमों के तौर पर नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों के लिए दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया है।

इसके अलावा, देश में अपशिष्ट/बायोमास स्रोतों से संपीडित बायो गैस (सीबीजी) के उत्पादन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से 01 अक्टूबर, 2018 को किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विक प (सतत) नामक एक योजना की शुरुआत की गई थी। सतत में यह परिक पना की गई है कि 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की कुल सीबीजी उत्पादन क्षमता के साथ 5000 सीबीजी संयंत्रों को विकसित किया जाए। सतत के तहत, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड और इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने एक निर्धारित मूल्य पर सीबीजी प्राप्त करने के लिए संभावित उद्यमियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की हैं। आमंत्रित ईओआई के प्रत्युत्तर में तेल पीएसयूज, जनवरी, 2020 तक 479 आशय-पत्र (एलओआईज) जारी किए गए हैं। वर्तमान में, पुणे और कोल्हापुर में 2 सीबीजी संयंत्र प्रचालनरत हैं और उत्पादित सीबीजी को सितंबर, 2019 से ऑटो क्षेत्र में बेचा जा रहा है।

(ड.): आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने जगदीशपुर-हृदया-बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) और पूर्व त्तर गैस ग्रिड (एनईजीजी) परियोजना के लिए वीजीएफ

को अनुमोदित किया है। सीसीईए ने दिनांक 21 सितंबर, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में जगदीशपुर-हृदया-बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) परियोजनाओं के निष्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा 12,940 करोड़ रुपये (विनिर्माण के दौरान मुद्रास्फीति और ब्याज सहित) की अनुमानित पूंजीगत लागत का 40 प्रतिशत अर्थात् 5,176 करोड़ रुपये का पूंजीगत अनुदान गेल (इंडिया) लिमिटेड को अनुमोदित किया है। मई, 2021 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत सरकार ने 4486.748 करोड़ रुपये गेल को जारी किए हैं।

\*\*\*\*